

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
।। अधिसूचना ।।

दिनांक-20.08.2026

संख्या-09/नि.फ.बी.(को.)-09/2026.....8636/सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-4989 दिनांक-08.06.2018 द्वारा "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" के कार्यान्वयन लिए दी गई स्वीकृति एवं उक्त संकल्प की कंडिका-09 में वर्णित प्रावधानानुसार योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की दिनांक-31.07.2026 की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में खरीफ 2026 मौसम के लिए "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है :-

1. (क) **आच्छादित फसल** :- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1002 दिनांक-10.07.2026 द्वारा प्राप्त इकाईवार आयोजन सूची (परिशिष्ट-1) के आलोक में :-

(i) अगहनी धान फसल राज्य के सभी 38 जिलों के कुल 534 अंचलों के सभी आच्छादित ग्राम पंचायतों के लिए अधिसूचित किया जाता है।

(ii) भदई-मकई फसल राज्य के 25 जिलों- पटना, नालन्दा, बक्सर, गयाजी, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, भागलपुर, बाँका, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, एवं कटिहार के सभी आच्छादित ग्राम पंचायतों के लिए अधिसूचित किया जाता है।

(कंडिका-(i) एवं (ii) में वर्णित फसल संबंधित जिला में अवस्थित नगर पंचायत एवं नगर परिषद् के लिए भी अधिसूचित किया जाता है।)

(iii) सोयाबीन फसल राज्य के 03 जिलों- बेगूसराय, खगड़िया एवं समस्तीपुर जिला के लिए जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

(iv) अगहनी आलू फसल राज्य के 14 जिलों- पूर्णियाँ, पूर्वी चम्पारण, बाँका, कटिहार, गयाजी, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चम्पारण, मधुबनी, वैशाली, मधेपुरा, बक्सर, औरंगाबाद एवं सिवान में जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

(v) अगहनी बैंगन फसल राज्य के 15 जिलों— समस्तीपुर, वैशाली, गयाजी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, कटिहार, पूर्णियाँ, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय, पटना, बाँका, नालंदा, सिवान एवं गोपालगंज में जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

(vi) अगहनी टमाटर फसल राज्य के 12 जिलों— समस्तीपुर, गयाजी, भोजपुर, वैशाली, पटना, सिवान, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, लखीसराय, बेगूसराय, बाँका एवं कटिहार में जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

(vii) अगहनी गोभी फसल राज्य के 14 जिलों— समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मधेपुरा, बाँका, किशनगंज, पूर्णियाँ, बेगूसराय, सिवान एवं गोपालगंज में जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

(viii) मखाना फसल राज्य के 10 जिलों— सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा एवं खगड़िया में जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

(ख) आच्छादित किसान :-

(i) रैयत किसान :- ऐसे सभी किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हो।

(ii) गैर-रैयत किसान :- ऐसे सभी किसान जो दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हो।

(iii) रैयत एवं गैर रैयत किसान :- ऐसे किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती करने के साथ-साथ दूसरे रैयतों की भूमि पर भी खेती करते हैं।

(ग) किसानों का ऑनलाइन आवेदन :-

(i) कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर निबंधित किसान इस योजना के अंतर्गत भी निबंधित माने जाएंगे एवं खरीफ 2026 मौसम में योजना का लाभ लेने हेतु उन्हें सिर्फ योजना के पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

(ii) बिहार राज्य फसल सहायता योजना के पोर्टल पर आवेदन करने हेतु किसानों को केवल अधिसूचित फसल एवं बुआई क्षेत्र के रकबा की विवरणी यथा-खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या एवं रकबा की प्रविष्टि करना होगा।

(iii) बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत आवेदन निम्न माध्यमों से किया जा सकता है :-

- (a) Web Application for Farmers,
- (b) Mobile Application for Farmers,
- (c) IVRS (Sugam) Call Centre :-

इस माध्यम के तहत वैसे किसान जो ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे (Sugam) Call Centre 18003454110 (Toll Free No.) पर सम्पर्क कर सकते हैं एवं Call Centre Executive के सहयोग से योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

- (d) Special Application Window :-

इस माध्यम के तहत वैसे किसान जो ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे प्रखण्ड स्तर पर पदस्थापित प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं कार्यपालक सहायक के सहयोग से योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

(iv) किसी आवेदक के द्वारा एक से अधिक फसल हेतु अथवा रैयत एवं गैर-रैयत दोनों वर्गों की भूमि होने की स्थिति में यदि आवेदन किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में एक से अधिक फसल के उत्पादन में ह्रास होने तथा गैर-रैयत/रैयत दोनों की सम्मिलित भूमि पर दी जाने वाली सहायता की अनुमान्यता एवं गणना के आलोक में इस योजना के तहत आवेदित फसलों में से जिस फसल में उत्पादन का ह्रास ज्यादा प्रतिवेदित हुआ है, उस फसल के लाभ की गणना प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इस योजना के लाभ हेतु अधिकतम दो हेक्टेयर की पात्रता के संदर्भ में यदि उक्त फसल में दो हेक्टेयर तक के ह्रास की प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो अधिकतम ह्रास वाली फसल के बाद उत्तरोत्तर ह्रास वाली फसल के रकबा को मिलाकर अधिकतम दो हेक्टेयर तक इस योजना का लाभ मान्य होगा।

(v) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत दोनों श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं।

(घ) किसानों द्वारा योजना के पोर्टल पर दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना:-

- (i) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा अधिसूचित फसलों के उपज दर आंकड़ों के आधार पर योजना के मापदंडों के अनुसार योग्य ग्राम पंचायत के चयन के पश्चात् चयनित योग्य ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों द्वारा ऑनलाइन दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।
- (ii) योग्य ग्राम पंचायतों के सभी आवेदक किसानों को व्यक्तिगत SMS/विज्ञापन/योजना के पोर्टल के माध्यम से सूचित करते हुए योजना से संबंधित दस्तावेज यथा अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद/स्व-घोषणा पत्र इत्यादि अपलोड करने हेतु उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नं. पर एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) योग्य ग्राम पंचायतों के सभी आवेदक किसान विभाग द्वारा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नं. पर प्रेषित लिंक के माध्यम से संबंधित दस्तावेज अपलोड कर पायेंगे।
- (iv) रैयत श्रेणी के किसानों को आवेदक के नाम का हाल का बना भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (दिनांक-31.03.2025 के बाद का निर्गत) अथवा अद्यतन राजस्व रसीद (दिनांक-31.03.2026 के पश्चात् का निर्गत) एवं फसल की बुआई का स्वघोषणा-पत्र (परिशिष्ट-2) को अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (v) गैर-रैयत श्रेणी के किसानों को दूसरे की रैयती जमीन पर खेती करने संबंधी स्वघोषणा-पत्र, (परिशिष्ट-3) जिसमें रकबा की विवरणी यथा-खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या सहित बुआई का रकबा एवं बुआई की गई फसल की विवरणी अंकित हो तथा उक्त स्वघोषणा-पत्र किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, को अपलोड करना अनिवार्य होगा। रैयत एवं गैर-रैयत दोनों श्रेणी के किसान परिशिष्ट-4 के अनुसार स्वघोषणा-पत्र अपलोड करेंगे।
- (vi) वैसे किसान जो लिंक के माध्यम से योजना के पोर्टल पर अपना दस्तावेज अपलोड नहीं कर सकते हैं वे संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से सम्पर्क कर दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड कर पायेंगे।
- (vii) क्षेत्रीय सत्यापन के क्रम में सत्यापनकर्ता के द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदक किसानों के दस्तावेजों को upload कराने का प्रावधान किया गया है।

2. योजना से संबंधित महत्वपूर्ण निदेश :-

(i) इन्डेमनिटी स्तर एवं थ्रेशहोल्ड उपज :-

बिहार राज्य में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के उत्पादन का कार्य राज्य के किसानों के लिए उच्च जोखिम का है, अतः किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना में 70% इन्डेमनिटी स्तर का प्रावधान किया गया है।

थ्रेशहोल्ड (Threshold) उपज पिछले 07 वर्षों की औसत उपज (राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आपदा वर्ष को छोड़कर) एवं इन्डेमनिटी स्तर से गुणा करने पर प्राप्त होगी।

थ्रेशहोल्ड (Threshold) उपज की गणना के प्रयोजनार्थ पूर्व वर्षों के उपज दर के आँकड़ों की अनुपलब्धता की स्थिति में उच्च स्तर के लिए निर्धारित उपज दर उक्त अधिसूचित क्षेत्र के लिए भी मान्य होगा।

सोयाबीन फसल एवं सब्जी फसल जिनका योजना के प्रावधानानुसार थ्रेशहोल्ड उपज दर की गणना हेतु विगत 07 (सात) वर्षों का उपज दर आँकड़ा उपलब्ध नहीं है, का जबतक फसल कटनी प्रयोग के आधार पर विगत 07 (सात) वर्षों का उत्पादन दर उपलब्ध नहीं होता है, तबतक थ्रेशहोल्ड उपज दर की गणना के प्रयोजनार्थ कृषि विभाग के द्वारा आदर्श परिस्थितियों में उपलब्ध कराये गए प्रति हेक्टेयर Optimum उपज दर प्रयुक्त किया जायेगा।

(ii) आच्छादित/सहायता राशि की अधिसीमा :-

(क) थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% तक ह्रास की स्थिति में 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 15,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

(ख) थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% से ज्यादा ह्रास की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 20,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

(iii) कार्यान्वयन हेतु समय सीमा :-

इस योजना के क्रियाकलापों की समय-सीमा का सामान्यतः निम्न प्रकार से अनुपालन किया जाएगा :-

क्र.सं.	क्रियाकलाप	खरीफ मौसम के लिए
1.	पात्र किसानों का ऑनलाइन आवेदन	31 अक्टूबर 2026 तक
2.	फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन तथा इसके फलाफल के ऑनलाइन पोर्टल में प्रविष्टि एवं योग्य ग्राम पंचायतों का चयन की अंतिम तिथि	15 फरवरी 2027
3.	चयनित ग्राम पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र के आवेदक किसानों द्वारा दस्तावेजों का पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	15 मार्च 2027
4.	सहायता राशि का भुगतान	मार्च/अप्रैल 2027

(iv) फसल कटनी प्रयोग :-

(क) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार के निदेशन एवं पर्यवेक्षण में धान एवं मकई दोनों फसलों के लिए फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन एकांश श्रृंखला अन्तर्गत प्रति फसल प्रति पंचायत न्यूनतम 04 की संख्या में किया जाएगा।

(ख) फसल कटनी प्रयोगों के फलाफल के आधार पर प्रति हेक्टेयर उपज दर निर्धारित होगी। यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र में फसल कटनी प्रयोग सम्पादित नहीं हो सका हो तो निकटवर्ती क्षेत्र अथवा उच्च स्तर पर निर्धारित उपज दर उक्त क्षेत्र हेतु भी मान्य होगी।

(ग) फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन पूर्ण पारदर्शी तरीके से पूर्ण प्रचार-प्रसार करते हुए सुनिश्चित कराया जाएगा।

(घ) फसल कटनी प्रयोगों के आधार पर उपज दर की ऑनलाइन प्रविष्टि योजना पोर्टल पर सुनिश्चित की जाएगी।

(ङ) फसल कटनी प्रयोगों के ससमय सम्पादन हेतु कृषि सलाहकार/कृषि समन्वयक की सेवाएँ ली जा सकेंगी।

(च) फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन के समय संबंधित पंचायत के पैक्स के अध्यक्ष भी सह-प्रेक्षक (Co-observer) के रूप में उपस्थित रह सकेंगे।

(v) उपज दर में ह्रास तथा सहायता दर का मूल्यांकन :-

(क) उपज दर में ह्रास का मूल्यांकन निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में वर्तमान मौसम में फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर निर्धारित वास्तविक उपज दर में हुए ह्रास के आधार पर किया जाएगा।

(ख) अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत आवेदक सभी किसानों के लिए उपज दर में ह्रास के अनुरूप सहायता दर का निर्धारण किया जाएगा।

(vi) सहायता राशि की अनुमान्यता का निर्धारण

(क) वास्तविक उपज में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत में) निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी—

$$\frac{\text{थ्रेशहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेशहोल्ड उपज}} \times 100$$

(ख) वास्तविक उपज में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत) के अनुसार सहायता राशि निर्धारित की जाएगी।

(vii) सहायता राशि की स्वीकृति एवं भुगतान :-

(क) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के निदेशन में संपादित फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों का क्षेत्रीय सत्यापन, आंकड़ों का सत्यापन एवं आधार प्रमाणीकरण के उपरान्त स्वीकृत अनुमान्य सहायता राशि ऑनलाइन पोर्टल पर स्वतः परिकलित (calculated) एवं परिलक्षित होगी।

(ख) ऑनलाइन प्रविष्ट आँकड़ों का क्षेत्रीय सत्यापन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षकों/पंचायत स्तरीय कर्मियों से कराया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक पंचायत का एक प्रभारी कर्मी नामित रहेगा। सत्यापन के फलाफल का पंचायत प्रभारी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में प्रविष्ट करना होगा।

(ग) विभागीय संकल्प संख्या-962 दिनांक-26.02.2019 (विभागीय संकल्प संख्या-2107 दिनांक-03.08.2023 द्वारा यथा संशोधित) की कंडिका-03 के आलोक में बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत सत्यापनोपरान्त लाभार्थी किसानों को सहायता राशि का भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आधार लिंक खाता में किया

जाएगा, जिसके लिए आवश्यक एडवाइस राज्य स्तर से ही निर्गत किया जाएगा। साथ ही, किसानों की सत्यापित एवं स्वीकृत/अस्वीकृत विवरणी को संबंधित प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा प्रति पंचायत कम से कम 01% एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा 02% Random जाँच किया जाएगा।

3. (क) इस योजना के तहत अनुमान्य सहायता राशि फसल कटनी प्रयोग के फलाफल पर आधारित फसल उत्पादन में हुए ह्रास के लिए प्रदान होनी है। फसल अवधि के दौरान हुए नुकसान अथवा सम्भावित नुकसान से फसल को बचाने हेतु आपदा प्रबंधन के तहत संचालित कृषि इनपुट अनुदान योजना अथवा डीजल सब्सिडी योजना से यह योजना सम्बद्ध नहीं होगी तथा इस योजना का लाभ उक्त दोनों योजना के तहत लाभान्वित किसानों को भी अनुमान्य होगा।

(ख) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन का सही-सही प्रबंधन, तदनुसार आँकड़ों की प्रविष्टि, वास्तविक उपज दर निर्धारण एवं थ्रेशहोल्ड उपज दर की गणना हेतु पूर्व वर्षों के उपज दर के आँकड़ों की प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करायी जाएगी।

(ग) जिलास्तरीय समन्वय समिति द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा के साथ-साथ फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन का सही-सही प्रबंधन, आँकड़ों की प्रविष्टियों की शुद्धता, उपज दर निर्धारण आदि की भी समीक्षा की जाएगी तथा अनापेक्षित फलाफल की स्थिति में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाइयों के आलोक में यथा आवश्यक निर्देश दिया जा सकेगा।

(घ) इस योजना में सहायता राशि की अनुमान्यता अथवा भुगतान संबंधी विवादों के निपटारा हेतु जिला स्तर पर गठित जिलास्तरीय समन्वय समिति सक्षम होगी।

(ङ) योजना का प्रचार-प्रसार दैनिक समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए, टेलीविजन के माध्यम से तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशाला एवं बैठक आयोजित कराते हुए व्यापक रूप से किया जाएगा। साथ ही, पंचायत स्तर पर पैक्सों के द्वारा बैठक/गोष्ठी आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

4. विभागीय संकल्प संख्या-4989 दिनांक-08.06.2018 की कण्डिका-10 द्वारा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समन्वय समिति द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन का पूर्ण अनुश्रवण योजना के दिशा निदेश में अंकित प्रावधानों के आलोक में

सुनिश्चित किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी जो उक्त जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्य सचिव हैं, के द्वारा जिला पदाधिकारी के निदेशन में योजना के दिशा-निदेश के अनुरूप यथा अपेक्षित सभी कार्रवाईयाँ ससमय क्रियान्वित कराया जाएगा।

5. विभाग द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकतानुसार दिशा-निदेश निर्गत किया जा सकेगा।

6. अधिसूचना में अवर्णित नियम एवं शर्तें (Term and Conditions) बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा परिचारित दिशा-निदेश के अनुसार किया जाएगा।

अधिसूचना में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 8636 - / पटना, दिनांक:- 20.08.2026

प्रतिलिपि:- उप सचिव (ई-गजट कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राज पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 20 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 8636 - / पटना, दिनांक:- 20.08.2026

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.-सह-किसान प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 8636 / पटना, दिनांक:- 20.08.2026

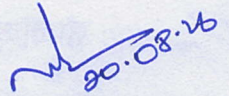
प्रतिलिपि:- निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, आई.एम.डी., बिहार, पटना/निदेशक, बिहार रिमोट सेंसिंग केन्द्र, तारामंडल, पटना/निदेशक, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार/अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि.-सह-किसान प्रतिनिधि/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 20.08.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 8636 - / पटना, दिनांक:- 20.08.2026

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली/विभागीय आई.टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं कार्यवाह सहायक को 20 (बीस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

 20.08.26

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

पत्रांक-फ०क०-2-2/2023 - 1002

पटना, दिनांक- 10/07/26

प्रेषक,

रणजीत कुमार भा०प्र०से०,
निदेशक

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- कृषि वर्ष 2026-27 के खरीफ मौसम के फसलों की अधिसूचना के निमित्त इकाईवार आयोजन सूची का प्रेषण।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-6795 दिनांक 06.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि कृषि वर्ष 2026-27 के खरीफ मौसम के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु अगहनी धान एवं भदई मकई फसलों का पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग तथा सोयाबीन फसल का जिला स्तरीय फसल कटनी प्रयोग आयोजन के अनुरूप सम्पादन किया जायेगा। बागवानी फसलों में खरीफ मौसम अन्तर्गत अगहनी आलू, बैंगन, टमाटर, अगहनी गोभी एवं मखाना फसल कटनी प्रयोग का जिला स्तरीय आयोजन किया गया है। फसलों की इकाईवार (जिला/पंचायत) अधिसूचना हेतु फसल कटनी प्रयोग का आयोजन सूची परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न कर आवश्यक कर्मवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक:- परिशिष्ट-1

आयोजित फसलों का सारांश

- 1 अगहनी धान -राज्य के सभी 38 जिलों के कुल-534 अंचल के सभी अच्छादित ग्राम पंचायत।
- 2 भदई मकई- राज्य के 25 जिलों के सभी अच्छादित ग्राम पंचायत।
- 3 भदई सोयाबीन-3 जिला में।
- 4 अगहनी आलू-14 जिला में।
- 5 अगहनी बैंगन-15 जिला में।
- 6 अगहनी टमाटर-12 जिला में।
- 7 अगहनी गोभी-14 जिला में।
- 8 मखाना-10 जिला में।

विश्वासभाजन

(Signature)
निदेशक

परिशिष्ट-1

कृषि वर्ष 2026-27 अन्तर्गत खरीफ मौसम के फसलों की अधिसूचना हेतु फसलवार आयोजित ईकायों की सूची।

- ✓ 1. फसल का नाम:- अगहनी धान- आयोजित जिलों की संख्या-38
राज्य के सभी अच्छादित जिलों के सभी अच्छादित पंचायतों में पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग का आयोजन।
2. फसल का नाम:- भदई मकई-आयोजित जिलों की संख्या-25
1. पटना 2. नालंदा 3. बक्सर 4. गयाजी 5. सारण 6. सिवान 7. गोपालगंज 8. दरभंगा 9. समस्तीपुर 10. शिवहर 11. मुजफ्फरपुर 12. पूर्वी चम्पारण 13. प० चम्पारण 14. वैशाली 15. मुंगेर 16. बेगूसराय 17. खगड़िया 18. लखीसराय 19. जमुई 20. भागलपुर 21. बांका 22. सहरसा 23. मधेपुरा 24. पूर्णिया एवं 25. कटिहार (कृषि वर्ष 2025-26 के जिंसवार के आधार पर)।
पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग के लिए एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक पंचायत होने की स्थिति में राजस्व ग्राम को ईकाई मानकर फसल कटनी प्रयोग आयोजित किया जाना है, जिसका उपजदर उक्त राजस्व ग्राम के सभी पंचायतों के लिए मान्य होगा।
3. फसल का नाम:- सोयाबीन- आयोजित जिलों की संख्या-3
1. बेगूसराय, 2. खगड़िया एवं 3. समस्तीपुर।
4. फसल का नाम:- आलू- आयोजित जिलों की संख्या-14
1. पूर्णिया, 2. पूर्वी चम्पारण, 3. बांका, 4. कटिहार, 5. गयाजी, 6. सुपौल, 7. भोजपुर, 8. प० चम्पारण, 9. मधुबनी, 10. वैशाली, 11. मधेपुरा 12. बक्सर, 13. औरंगाबाद एवं 14. सिवान।
5. फसल का नाम:- बैंगन- आयोजित जिलों की संख्या-15
1. समस्तीपुर, 2. वैशाली, 3. गयाजी, 4. पूर्वी चम्पारण 5. प० चम्पारण, 6. कटिहार, 7. पूर्णिया, 8. मधुबनी, 9. सुपौल, 10. बेगूसराय, 11. पटना 12. बांका 13. नालंदा, 14. सिवान एवं 15. गोपालगंज।
6. फसल का नाम:- टमाटर- आयोजित जिलों की संख्या-12
1. समस्तीपुर, 2. गयाजी, 3. भोजपुर, 4. वैशाली, 5. पटना 6. सिवान, 7. पूर्वी चम्पारण, 8. मधुबनी, 9. लखीसराय, 10. बेगूसराय, 11. बांका एवं 12. कटिहार।
7. फसल का नाम:- गोभी- आयोजित जिलों की संख्या-14
1. समस्तीपुर, 2. वैशाली, 3. कटिहार, 4. सुपौल, 5. मधुबनी, 6. पूर्वी चम्पारण, 7. प० चम्पारण, 8. मधेपुरा, 9. बांका, 10. किशनगंज, 11. पूर्णिया 12. बेगूसराय, 13. सिवान एवं 14. गोपालगंज।
8. फसल का नाम:- मखाना- आयोजित जिलों की संख्या-10
1. सुपौल 2. मधेपुरा 3. अररिया 4. किशनगंज 5. पूर्णिया 6. कटिहार 7. मधुबनी 8. दरभंगा 9. सहरसा एवं 10. खगड़िया।

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार
रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
(केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2026 हेतु मान्य)

मैं पिता/पति का नाम

वार्ड संख्या ग्राम

ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद

प्रखंड जिला घोषणा करता / करती हूँ कि

मैंने अपनी कृषि योग्य भूमि जिसका अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद अपलोड किया है एवं खरीफ वर्ष 2026 में फसल/फसलों की बुआई की है। बुआई अन्तर्गत फसल की भूमि का रकबा निम्न है :-

क्रम सं.	फसल का नाम	बुआई का रकबा (डिसमिल में)	रकबा की विवरणी		
			खाता संख्या	खेसरा संख्या	थाना संख्या
1.	धान				
2.	मक्का				
3.	सोयाबीन				
4.	आलू				
5.	टमाटर				
6.	गोभी				
7.	बैंगन				
8.	मखाना				
	कुल :				

नोट:- मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही प्रपत्र में विवरणी अंकित की जाय।

यह भूमि ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद में अवस्थित है।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है। साथ ही यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि अंकित सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरा/मेरी पात्रता रद्द की दी जाएगी।

दिनांक :-

हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार
गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
(केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2026 हेतु मान्य)

मैं पिता/पति का नाम

वार्ड संख्या ग्राम

ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद

प्रखंड जिला घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने अन्य रैयत की कृषि योग्य भूमि पर खरीफ वर्ष 2026 में फसल/फसलों की बुआई की है। बुआई अन्तर्गत फसल की भूमि का रकबा निम्न है :-

क्रम सं.	फसल का नाम	बुआई का रकबा (डिसमिल में)	रकबा की विवरणी		
			खाता संख्या	खेसरा संख्या	थाना संख्या
1.	धान				
2.	मक्का				
3.	सोयाबीन				
4.	आलू				
5.	टमाटर				
6.	गोभी				
7.	बैंगन				
8.	मखाना				
	कुल :				

नोट:- मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही प्रपत्र में विवरणी अंकित की जाय।

यह भूमि ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद में अवस्थित है। मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है। साथ ही यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि अंकित सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरा/मेरी पात्रता रद्द की दी जाएगी।

दिनांक :-

हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य की अनुशंसा :-

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता / करती हूँ

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य का नाम :-		हस्ताक्षर एवं मोहर
पद :-		
मोबाइल नम्बर :-		
आधार संख्या :-		

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार
रैयत एवं गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
(केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2026 हेतु मान्य)

मैं पिता/पति का नाम

वार्ड संख्या ग्राम

ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद

प्रखंड जिला घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने अपनी कृषि योग्य भूमि जिसका अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद अपलोड किया है साथ ही अन्य रैयत की कृषि योग्य भूमि पर खरीफ वर्ष 2026 में फसल/फसलों की बुआई की है। बुआई अन्तर्गत फसल की भूमि का रकबा निम्न है :-

क्रम सं.	फसल का नाम	बुआई का रकबा (डिसमिल में)	रकबा की विवरणी		
			खाता संख्या	खेसरा संख्या	थाना संख्या
1.	धान				
2.	मक्का				
3.	सोयाबीन				
4.	आलू				
5.	टमाटर				
6.	गोभी				
7.	बैंगन				
8.	मखाना				
	कुल :				

नोट:- मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही प्रपत्र में विवरणी अंकित की जाय।

यह भूमि ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद में अवस्थित है। मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है। साथ ही यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि अंकित सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरा/मेरी पात्रता रद्द की दी जाएगी।

दिनांक :-

हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य की अनुशंसा :-

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता / करती हूँ

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य का नाम :-		हस्ताक्षर एवं मोहर
पद :-		
मोबाइल नम्बर :-		
आधार संख्या :-		